राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/15–16 / 5415 दिनांकः 25.7.15

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेस–नोट

नगरपालिका आम/उप चुनाव

राज्य की 3 नवगठित नगरपालिकाओं सहित 129 नगर निकायों (सूची संलग्न) का साधारण निर्वाचन कराया जाना हैं। इसके अतिरिक्त 3 नगर निकायों के 3 वार्डो के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने हेतु उप चुनाव भी कराया जाना है। इनके साधारण/उप निर्वाचन कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

चुनाव कार्यक्रम

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	01.08.2015 (शनिवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.08.2015 (बुधवार)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	06.08.2015 (गुरूवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	08.08.2015 (शनिवार)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	09.08.2015 (रविवार)
6.	मतदान की तिथि	17.08.2015 (सोमवार) (प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
7.	मतगणना	20.08.2015 (गुरूवार) (प्रातः 8.00 बजे से)
8.	अध्यक्ष पद का निर्वाचन	21.08.2015 (शुक्रवार)
9.	उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन	22.08.2015 (शनिवार)

मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा।

मतदाता एवं मतदान केन्द्र

राज्य की 129 नगर निकायों में आम चुनाव एवं 3 वार्डो के उपचुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.07.2015 को कर दिया गया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 129 नगरनिकायों के साधारण निर्वाचन में कुल 37 लाख 12 हजार 316 मतदाता हैं। इनमें 19 लाख 35 हजार 9 पुरूष, तथा 17 लाख 77 हजार 260 महिला तथा 47 अन्य मतदाता है। साथ ही 3 वार्डो के उप चुनाव में कुल 2 हजार 466 मतदाता हैं।

31 जिलों की 129 नगरपालिकाओं (जिनमें 3 नवगठित नगरपालिका सम्मिलित हैं) के 3351 वार्डो के लिए मतदान हेतु 4302 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं। इसकि अतिरिक्त 3 वार्डो के उप चुनाव हेतु 6 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं की 2 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव

जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी एवं जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाड का आम चुनाव कराया जाना है। आम चुनाव कराए जाने हेतु चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

25.7

F:\Sanjay\GOPI'S DATA\NP\F4(1)(1)NP SEC 15-16_Gen. Election_Prg.2015-16.doc
10

चुनाव कार्यक्रम

1.	नियम 23 के सपठित नियम 56 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	01.08.2015 (शनिवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापसी	12.08.2015 (बुधवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.00 बजे से
	(3) नाम निर्देशन पत्रों की वापसी	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	17.08.2015 (सोमवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
5.	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
6.	उप सरपंच का चुनाव	18.08.2015 (मंगलवार)

मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा।

मतदाता एवं मतदान केन्द्र

उक्त दो ग्राम पंचायतों के आम चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.07.15 को कर दिया गया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार उक्त दो ग्राम पंचायतों के साधारण निर्वाचन में कुल 19 हजार 662 मतदाता हैं। इनमें 10 हजार 200 पुरूष, तथा 8 हजार 462 महिला मतदाता है।

नगरनिकाय एवं पंचायत चुनाव में मतदाताओं की पहचान

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दि. 3131/10.09.09, 4796/09.11.09 एवं 494/11.02.14 द्वारा मतदाताओं की पहचान हेतु कुल 19 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों को अनुमोदित किया है। मतदान हेतु आने वाले मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदान पहचान पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो इसके लिए 19 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त अनुमोदित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यदि परिवार के मुखिया के पास उक्त फोटोयुक्त दस्तावेज है और उस परिवार के किसी सदस्य के पास नही है, तो परिवार के मुखिया की पहचान के आधार पर भी मतदाता की पहचान स्थापित की जा सकेगी, बशर्ते कि परिवार का मुखिया भी साथ हो। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि, मतदान के समय आयोग के उक्त आदेश के तहत दस्तावेजों को साथ लावें, जिससे मतदान शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

आदर्श आचार संहिता

नगरनिकाय एवं ग्राम पंचायत हेतु दिनांक 25.07.2015 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान सम्बन्धित निकाय/निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गए हैं। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान चुनाव प्रकिया समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव